[2022] 2 एस. सी. आर 925

गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर

हिरगुट्टी

वी.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 451)

21 मार्च, 2022

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012: एस. 23-एस की प्रयोज्यता। 155 (2) दंड प्रक्रिया संहिता से

एक अपराध की जांच यू / पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 इंदिरा बनर्जी, जे. के अनुसार-Cr.P.C के तहत प्रक्रिया का पालन अपराध के रूप में करने की आवश्यकता नहीं है पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, जो पीड़ित की पहचान का खुलासा करके की गई है, त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

धाराओं की उप-धारा (5) और (6) के अनुपालन के लिए जांच। 19 पॉक्सो की-जे. के. माहेश्वरी के अनुसार, एस की जे. प्रक्रिया। 155 (2) पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध में Cr.P.C का पालन करना आवश्यक है। एस. 23, जो गैर-संज्ञेय और विशेष न्यायालय है, को जाँच में अपनाई गई प्रक्रिया को देखने की आवश्यकता है-आयोजितः मतभेद को देखते हुए, मामले को बड़ी पीठ-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. को भेजा गया। 155 (2) , 4 , 5 .

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए (राय के मतभेद को देखते हुए), न्यायालय

पकड़नाः पर

इंदिरा बनर्जी, जे।

के अनुसार जांच की गई, कोशिश की गई या अन्यथा निपटा गया आई. डी. 1. के प्रावधानों और किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटा जाना है, आई. डी. 1. के समान प्रावधानों के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू किसी भी अधिनियम के अधीन, ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके को विनियमित करना। [पैरा 33] [939-ई-एफ]

2. पॉक्सो की धारा 19 और उसके उपखंडों की भाषा और अवधि यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि उक्त धारा पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध को बाहर नहीं करती है। यह धारा 19 (1) की भाषा और संदर्भ से स्पष्ट है, जिसमें लिखा है ". कोई भी व्यक्ति जिसे आशंका है कि इस अधिनियम के तहत अपराध किए जाने की संभावना है या उसे पता है कि ऐसा अपराध किया गया है।" पॉक्सो की धारा 19 में "अपराध" अभिव्यक्ति में पॉक्सो के तहत सभी अपराध शामिल होंगे, जिसमें पॉक्सो की धारा 23 के तहत एक समाचार रिपोर्ट के प्रकाशन, यौन उत्पीड़न की शिकार बच्चे की पहचान का खुलासा करना शामिल है। हमला। इसके अलावा, पॉक्सो की धारा 19 की उप-धारा (5) में यह प्रावधान है कि जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि जिस बच्चे के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद तत्काल व्यवस्था करेगा कि वह बाल अपराधों के लिए जिम्मेदार है या नहीं।

इस बात की जाँच की जाए कि क्या कोई अपराध किया गया है और क्या बच्चे को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। [पारस 35,36] [940-जी-एच; 941-ए-डी] 3. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायी इरादे को क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों से उनके स्पष्ट अर्थ के अनुसार समझा जाना है।

यदि विधानमंडल का इरादा होता कि पी. ओ. सी. एस. ओ. की धारा 23 के तहत किसी अपराध की जांच पर आई. डी. 1. लागू होना चाहिए, तो विशेष रूप से ऐसा प्रावधान होता। अभिव्यक्ति "जांच" जैसा कि Cr.P.C की धारा 4 (1) या (2) में है, धारा 31 या धारा 33 (9) या पॉक्सो में कहीं और स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। [पैरा 39] [942-बी-सी]

4. आई. पी. सी. की धारा 228 ए, आई. डी. 1 की धारा 327 (2), जे. जे. अधिनियम की धारा 74 और पॉक्सो की धारा 23 जैसे प्रावधानों का पूरा उद्देश्य पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को रोकना है। पीड़ित की पहचान किसी से भी स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। मीडिया में प्रकाशित मामला। जे. जे. अधिनियम और पॉक्सो समझौते के तहत भारत के दायित्वों को आगे बढ़ाने में हैं। पॉक्सो की धारा 23 का प्रावधान जो यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को निजता में अनुचित घुसपैठ, उत्पीड़न गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी बनाम से बचाता है।

और मानसिक पीड़ा को सख्ती से लागू करना होगा। प्रावधान को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, एक बच्चा जिसके खिलाफ पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध किया गया है, उसकी पहचान का खुलासा करके, विशेष सुरक्षा, देखभाल और यहां तक कि आश्रय की आवश्यकता हो सकती है, जिसके अनुपालन के लिए त्वरित जांच की आवश्यकता हो सकती है। पॉक्सो की धारा 19 की उप-धारा (5) और (6)। [पैरा 44,52,57] [943-ए-बी; 944-ई-एफ; 945-जी-एच]

निपुन सक्सेना बनाम। भारत संघ 2019 (2) एस. सी. सी. 703:

[2018] 14 एस. सी. आर. 75-पर निर्भर।

केशव लाल ठाकुर बनाम। बिहार राज्य (1996) 11 एससीसी

557 [1996] 7 पूरक। एससीआर 578-प्रतिष्ठित।

पंजाब राज्य बनाम। देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य (2011) 14 एस. सी. सी. 770: [2011] 15 एससीआर 540; फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2021) 2 एस. सी. सी. 525; एच. एन. रिशबुद और अन्य बनाम। दिल्ली राज्य (1955) 1 एस. सी. आर. 1150-संदर्भित।

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. धारा 19 की भाषा को देखते हुए, यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं।

इसके साथ ही या तो धारा 19 या पॉक्सो अधिनियम के अन्य प्रावधान यह भी निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि उप-अधिनियम के तहत अपराध की सूचना देने पर जांच कैसे और किस तरीके से की जाती है।

संबंधित प्रावधान। लेकिन पॉक्सो अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि अपराधों की रिपोर्टिंग पर जांच कैसे और किस तरीके से की जानी चाहिए। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम के तहत जांच के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होने पर, या तो संज्ञेय या गैर-संज्ञेय के लिए संज्ञेय अपराध, जैसा कि Cr.P.C की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा अनिवार्य है, Cr.P.C में निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए।

जाँच आ मुकदमाक मामलामे एकर पालन कयल गेल। [पैरा 11] [950-सी-ई, जी-एच; 951-ए]

2. धारा 23 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय है और

धारा 19 या पॉक्सो अधिनियम के अन्य प्रावधान अपराध की रिपोर्ट करने के तरीके को निर्दिष्ट करने के अलावा जांच के लिए शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। हालाँकि, जैसा कि धारा की उप-धारा 2 के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है और Cr.P.C के धारा 5 बचत खंड को लागू करते हुए, यदि विशेष अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, तो Cr.P.C लागू होगा [पैरा 16] [952-F-G]

प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम। केंद्रीय ब्यूरो जाँच और एक और (2021) 2 एस. सी. सी. 525; राज्य

(2011) 14 एससीसी 770: [2011] 15 एससीआर 540; एच. एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य ए. आई. आर 1955 एस. सी. 196: [1955] 1 एस. सी. आर. 1150; केशव लाल ठाकुर बनाम। बिहार राज्य (1996) 11 एससीसी 557: [1996] 7 पूरक। एससीआर 578-निर्भर

पर।

राजीव चौधरी बनाम। दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2369 [2001] 3 एस. सी. आर. 508; राकेश कुमार पॉल बनाम। असम राज्य (2017) 15 एससीसी 67: [2017] 8 एस. सी. आर. 785-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पर इंदिरा बनर्जी, जे।

[1996] 7 पूरक। एससीआर 578

प्रतिष्ठित

पैरा 20

[2011] 15 एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

(2021) 2 एस. सी. सी. 525

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

(1955) 1 एससीआर 1150

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[2018] 14 एससीआर 75

उस पर भरोसा करें

पैरा 53

जे. के. माहेश्वरी, जे.

[2001] 3 एससीआर 508

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2017] 8 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरेगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

[1996] 7 पूरक। एससीआर 578

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

(2021) 2 एस. सी. सी. 525

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2011] 15 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[1955] 1 एससीआर 1150

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

451 2022 का

उच्च न्यायालय के 17.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की आपराधिक याचिका संख्या 101420 में धारवाड़ पीठ में कर्नाटक सरकार।

देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निशांत पाटिल, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, सुश्री मालविका कला, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 17 तारीख के एक फैसले और आदेश के खिलाफ है।

सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने पारित किया

(इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित), और प्रधान जिला न्यायाधीश, उत्तर कन्नड़, कारवार द्वारा पारित 19 अप्रैल 2018 के एक आदेश को बरकरार रखते हुए, अपीलार्थी के खिलाफ धारा के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए। 23 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (इसके बाद "पॉक्सो" के रूप में संदर्भित)।

3. इस अपील में शामिल कानून का संक्षिप्त सवाल यह है कि क्या

Cr.P.C की धारा 155 (2). पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध की जांच पर लागू होती है? क्या विशेष न्यायालय पॉक्सो की धारा 23 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने से वंचित है और अपराध की जांच के लिए पुलिस को अधिकार क्षेत्र मजिस्ट्रेट की अनुमति के अभाव में ही आई. डी. 1 की धारा 227 के तहत आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए बाध्य है?

4. अपीलार्थी करावली मुंजावू अखबार का संपादक है।

27 अक्टूबर 2017 को या उसके आसपास, एक 16 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के बारे में अखबार, करावली मुंजावू में एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उक्त रिपोर्ट में पीड़ित का नाम लिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. पॉक्सो की धारा 23 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 23. मीडिया के लिए प्रक्रिया। — (1) कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करेगा।

किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं से किसी भी बच्चे पर रिपोर्ट करें या टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी, जिसका प्रभाव हो सकता है

उसकी प्रतिष्ठा को कम करना या उसकी निजता का उल्लंघन करना।

(2) किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट पहचान का खुलासा नहीं करेगी

किसी बच्चे का नाम, पता, तस्वीर, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई अन्य विवरण जिसके कारण बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता हैः
बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय,

इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति दें, यदि इसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण है

बच्चे का हित।

(3) मीडिया या स्टूडियो का प्रकाशक या मालिक या

फोटोग्राफिक सुविधाएं संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगी।

अपने कर्मचारी के कार्यों और चूक के लिए।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप के प्रावधानों का उल्लंघन करता है

धारा (1) या उप-धारा (2) दंडनीय होगी।

एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास के साथ जो

छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो एक महीने तक बढ़ सकता है।

साल या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ।

6. 30 अक्टूबर 2017 को या उसके आसपास, पीड़ित की मां ने अन्य बातों के साथ-साथ पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सिद्दापुर पुलिस स्टेशन में, जिसके अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ मामला No.203/2017 होने का आपराधिक मामला शुरू किया गया था।

7. जाँच के बाद, पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को प्रधान जिला न्यायाधीश, उत्तर कन्नड़, कारवार की अदालत में Cr.P.C की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर की। 19 अप्रैल 2018 के एक आदेश द्वारा, प्रधान जिला न्यायाधीश, उत्तर कन्नड़, कारवार की अदालत ने यह निर्णय लिया। कथित अपराध का संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि अपीलार्थी को समन जारी किया जाए।

8. इसके बाद, अपीलार्थी ने कथित आधार पर Cr.P.C की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि इसके तहत एक अपराध है।

पॉक्सो की धारा 23 गैर-संज्ञेय होने के कारण, पुलिस मजिस्ट्रेट गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी बनाम का आदेश प्राप्त किए बिना अपराध की जांच नहीं कर सकती थी।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

Cr.P.C की धारा 155 (2) के तहत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके बाद अपीलार्थी ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दायर की।

9. 17 सितंबर 2021 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पॉक्सो की धारा 19 का गैर-बाधा प्रावधान Cr.P.C के प्रावधान, जिसमें इसकी धारा 155 भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।

10. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया कि Cr.P.C के प्रावधान उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय सभी अपराधों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि एक विशेष कानून एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जो Cr.P.C के तहत सामान्य प्रक्रिया को ओवरराइड करता है।

11. श्री कामत ने अपनी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में उल्लेख किया

आई. डी. 1. की धारा 2 (एन), जो 'अपराध' को किसी भी कार्य या चूक के लिए परिभाषित करती है जो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय है। विशेष रूप से इसकी उप-धारा (2) की धारा 4 का उल्लेख करते हुए, श्री कामत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी अपराध, जिनमें निम्नलिखित अपराध भी शामिल हैं।

पॉक्सो की धारा 23 की जाँच की जानी चाहिए और Cr.P.C के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

12. Cr.P.C की धारा 4 में लिखा हैः

" 4. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा। — (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। (2) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन।

13. श्री कामत ने आगे कहा कि पॉक्सो की धारा 23 के तहत एक अपराध, जो अधिकतम कारावास से दंडनीय है।

Cr.P.C की पहली अनुसूची के भाग 2 के साथ पठित धारा 2 (1) के अनुसार, यह एक गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध है। सुविधा के लिए नीचे निकाला गया हैः

" 2 (1) " गैर-संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए -

और "गैर-संज्ञेय मामला" का अर्थ है एक ऐसा मामला जिसमें, एक पुलिस

अधिकारी के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

" II-अन्य कानूनों के खिलाफ अपराधों का वर्गीकरण "

उपलब्ध है या नहीं

अपराध

संज्ञानात्मक या

कि

स अदालत द्वारा

गैर-संज्ञानात्मक

जमानती

परीक्षण योग्य

पहचानने योग्य

यदि मृत्युदंड योग्य है,

गैर-जमानती

सत्र

न्यायालय

आजीवन कारावास, या

अधिक के लिए कारावास 7 साल से अधिक।

के

मजिस्ट्रेट

यदि दंडनीय है

3 साल की कैद

ऐसा ही है।

ऐसा ही है।

प्रथम

श्रेणी

और ऊपर की ओर लेकिन अधिक नहीं 7 साल से अधिक।

गैर-संज्ञेय के साथ दंडनीय

अगर

उपलब्ध है।

कोई

भी मजिस्ट्रेट

से कम के लिए कारावास 3 साल या केवल जुर्माने के साथ।

14. श्री कामत ने कहा कि आई. डी. 1 की धारा 155 (2) का अनिवार्य प्रावधान एक पुलिस अधिकारी के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से एक गैर-संज्ञेय मामले की जांच करना अनिवार्य बनाता है, जिसमें विफल रहने पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। इसलिए, पुलिस के पास अधिकार क्षेत्र मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना, पॉक्सो की धारा 23 के तहत किसी अपराध की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

15. श्री कामत ने इस न्यायालय को Cr.P.C की धारा 155 के माध्यम से लिया, जो नीचे दी गई है:

" 155. गैर-संज्ञेय मामलों के बारे में जानकारी और

ऐसे मामलों की जांच। — (1) जब आयोग के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसे गैर-संज्ञेय अपराध के स्टेशन की सीमा के भीतर जानकारी दी जाती है, तो वह ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में जानकारी का सार दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा, जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे, और

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी गैर-संज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा, जिसके पास इस तरह का मुकदमा चलाने की शक्ति है। मुकदमा चलाएँ या मुकदमा चलाएँ।

गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरेगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(4) जहां कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, तो मामला एक संज्ञेय मामला माना जाएगा, इसके बावजूद कि अन्य अपराध हैं - गैर-संज्ञानात्मक "।

17. श्री कामत ने तर्क दिया कि, Cr.P.C के साथ पठित पॉक्सो की भाषा और अवधि से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि विधानमंडल ने इरादा किया है। कि पॉक्सो के तहत अपराध के संबंध में और पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध के संबंध में Cr.P.C के प्रावधानों का पालन करना होगा। श्री कामत ने प्रस्तुत किया कि धारा 19 के विपरीत, पॉक्सो की धारा 23 Cr.P.C के प्रावधानों के आवेदन को बाहर नहीं करती है।

18. श्री कामत ने प्रस्तुत किया कि पॉक्सो की धारा 33 (9) के साथ पठित धारा 31 स्पष्ट रूप से Cr.P.C के प्रावधानों को लागू करती है।

विशेष न्यायालय के समक्ष पॉक्सो के तहत कार्यवाही के लिए। श्री कामत ने अपनी प्रस्तुतियों के संदर्भ में पॉक्सो की धारा 31 और धारा 33 (9) का उल्लेख किया है।

" 31. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को लागू करना

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही। - अन्यथा सहेजें

इस अधिनियम में उपबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान (जमानत और बांड के प्रावधानों सहित) एक विशेष अधिनियम के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे।

न्यायालय और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन करने वाला व्यक्ति,

लोक अभियोजक माना जाए।

33. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ।

(9) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक विशेष न्यायालय इस अधिनियम, [2022] 2 एस. सी. आर. के तहत किसी भी अपराध के मुकदमे के उद्देश्य से कार्य करेगा।

सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां हैं और इस तरह का प्रयास करेंगे अपराध मानो वह सत्र न्यायालय हो, और जहाँ तक हो सके,

संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार

न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2)

सत्र का "।

19. श्री कामत ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि Cr.P.C के प्रावधानों को इस उद्देश्य के लिए बाहर रखा गया था।

पॉक्सो की धारा 19 के कारण पॉक्सो की धारा 23

यू. एस. उन्होंने दृढ़ता से तर्क दियाः

((i)

पॉक्सो की धारा 23 के प्रावधानों को बाहर नहीं किया गया है Cr.P.C. पॉक्सो की धारा 19, जिसमें किसी अपराध की सूचना देने के संबंध में Cr.P.C शामिल नहीं है, किसी अपराध पर लागू नहीं होती है।

पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध। पॉक्सो की धारा 31 Cr.P.C को लागू करती है।

((ख)

पॉक्सो के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, जब तक कि विशेष रूप से बाहर नहीं किया गया हो। इस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा।

(iii)

पॉक्सो की धारा 33 (9) में प्रावधान है कि अपराधों का मुकदमा

Cr.P.C में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाना है। इस प्रावधान पर उच्च न्यायालय द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है।

20. उनके इस तर्क के समर्थन में कि उनके खिलाफ कार्यवाही

अनुमति के अभाव में लैंट को रद्द किया जा सकता था

Cr.P.C की धारा 155 (2) के तहत लिक्शनल मजिस्ट्रेट, श्री कामत

केशव लाल ठाकुर बनाम। बिहार राज्य 'जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 3. ..... पुलिस के स्वयं के प्रदर्शन पर, अपराध के तहत

अधिनियम की धारा 31 गैर-संज्ञेय है और इसलिए

पुलिस इस तरह के अपराध के लिए मामला दर्ज नहीं कर सकती थी

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत। बेशक, पुलिस का अधिकार है कि एक आदेश के अनुसार एक गैर-संज्ञेय अपराध की जांच करें

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के तहत एक सक्षम मजिस्ट्रेट का, लेकिन

मान लीजिए, तत्काल मामले में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। कि

जरूरी रूप से इसका मतलब है कि न तो पुलिस जांच कर सकी

विचाराधीन अपराध में और न ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिस पर

संज्ञान लेने का सवाल उठ सकता था।

5) 11 एस. सी. सी. 557 गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरेगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

21. श्री कामत ने तर्क दिया कि केशव लाल ठाकुर (उपरोक्त) मामले में तथ्य और परिस्थितियां उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समान थीं जहां आरोप पत्र बिना किसी आदेश के दायर किया गया था।

Cr.P.C की धारा 155 (2) के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट और

गिनिजेंस भी ले लिया गया था। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि

धारा के तहत अनुमति के अभाव में टायर जांच को दूषित कर दिया गया था

55 (2) Cr.P.C का।

22. श्री कामत ने पंजाब राज्य बनाम का भी हवाला दिया। देविंदर पाल सिंह हुलार और अन्य 2 जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 107. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो सभी बाद की और परिणामी हैं।

कार्यवाही इस कारण से विफल हो जाएगी कि अवैधता

आदेश की जड़ पर प्रहार करता है। ऐसी तथ्य स्थिति में, कानूनी उक्ति सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस का अर्थ है कि नींव को हटाया जा रहा है, संरचना/कार्य गिर रहा है, आता है।

खेल में और वर्तमान मामले में सभी अंकों पर लागू होता है।

108. बद्रीनाथ बनाम। सरकार. टी. एन. [(2000) 8 एस. सी. सी. 395: 2001

एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 13 ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3243] और राज्य

केरल बनाम. पुथेनकावु एन. एस. एस. करयोगम [(2001) 10 एस. सी. सी. 191] इस न्यायालय ने कहा कि एक बार कार्यवाही का आधार समाप्त हो जाने के बाद, सभी परिणामी कार्य, कार्रवाई, आदेश स्वचालित रूप से जमीन पर गिर जाएंगे और यह सिद्धांत इन पर लागू होता है -

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही

समान रूप से।

109. इसी तरह मंगल प्रसाद तमोली बनाम। नरवाडेश्वर

मिश्रा [(2005) 3 एस. सी. सी. 422] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रारंभिक चरण में कोई आदेश विधि की दृष्टि से गलत है, तो आगे की सभी कार्यवाहियां,

इसके परिणामस्वरूप, यह नहीं होगा और इसे अनिवार्य रूप से अलग रखा जाना चाहिए।

110. सी. अल्बर्ट मॉरिस बनाम। के. चंद्रशेखरन [(2006) 1 एस. सी. सी. 228] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानूनी अधिकार केवल और केवल तभी मौजूद है जब इसका वैध मूल हो। (उपेन चंद्र को भी देखें।

गोगोई बनाम। असम राज्य [(1998) 3 एससीसी 381: 1998 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 872], सच्चिदानंद मिश्रा बनाम। उड़ीसा राज्य [(2004) 8 एस. सी. सी. 599 2004 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1181], एस. बी. आई. बनाम। राकेश कुमार तिवारी

2011) 14 एससीसी 770 [2022] 2 एस. सी. आर.

[(2006) 1 एस. सी. सी. 530 2006 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 143] और रितेश तिवारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(2010) 10 एस. सी. सी. 677: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 315: ए. आई. आर 2010 एस. सी. 3823]

111. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि आक्षेपित आदेशों को अमान्य होने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, बाद की कार्यवाही/आदेश/एफ़. आई. आर./जाँच स्वतः ही दूषित हो जाती है और उत्तरदायी होती है।

गैर घोषित किया जाना "।

23. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री कामत ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलार्थी के खिलाफ जांच की प्रारंभिक कार्रवाई,

पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध, अवैध होने के कारण, बाद की सभी कार्रवाइयों को दूषित कर दिया जाएगा।

24. कर्नाटक राज्य की ओर से श्री पाधी ने कहा कि पॉक्सो को संसद द्वारा प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को दंडित करना। पॉक्सो की धारा 23 पीड़ित की पहचान के प्रकाशन को रोकती है। इस मामले में पीड़ित का नाम समाचार रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था।

25. श्री पाधी ने आगे तर्क दिया कि पॉक्सो एक विशेष अधिनियम होने के कारण, यह सामान्य प्रक्रियात्मक कानून को ओवरराइड करता है। इसके अलावा, पॉक्सो की धारा 19 "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद" एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि Cr.P.C की धारा 154 और 155 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध। पॉक्सो की धारा 19 (1) और 19 (2) (सी) के तहत पुलिस का कर्तव्य है कि वह किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को दर्ज करे जिसे पता हो कि पॉक्सो के तहत अपराध होने की संभावना है। किया गया है या किया गया है। श्री पाधी ने कहा कि पॉक्सो की धारा 19 पॉक्सो के तहत किसी भी अपराध पर लागू होती है। पॉक्सो की धारा 19 पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध को बाहर नहीं करती है।

26. श्री पाधी ने आगे कहा कि मामला आगे बढ़ गया है।

जाँच और आरोप पत्र का चरण दाखिल कर दिया गया था। अदालत ने संज्ञान लिया था। श्री पाधी ने तर्क दिया कि यह मानते हुए भी कि पुलिस को जांच के साथ आगे बढ़ने से पहले संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी, यह अपने आप में न्यायालय के संज्ञान लेने और आरोप तय करने के आदेश को दूषित नहीं करता है। अभियुक्त को गंभीर पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करना पड़ता है, जो अपीलार्थी नहीं कर पाया है।

आधार नारायण नायक @गंगाधर हिरेगुट्टी बनाम।

कर्नाटक और ओ. आर. एस. का भोजन। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

7. श्री पाधी ने फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट का हवाला दिया

और अन्य वी। केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य 3,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः

22. .....

" 9 .

यदि, इसलिए, वास्तव में संज्ञान लिया जाता है, तो पुलिस पर

एक अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन से दूषित रिपोर्ट

जाँच के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

न्याय की विफलता का कारण बना। कि एक अवैधता जाँच के दौरान किया गया कार्य प्रभावित नहीं करता है

मुकदमे के लिए न्यायालय की क्षमता और अधिकार क्षेत्र

जैसा कि परभु बनाम में मामलों से प्रतीत होता है, अच्छी तरह से निपटाया गया है। राजा।

सम्राट [परभू बनाम। राजा सम्राट, 1944 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी

1 : (1943-44) 71 आई ए 75: ए. आई. आर. 1944 पी. सी. 73] और लुम्बरदार जुत्शी बनाम। आर. [लुम्बरदार जुत्शी बनाम। आर. 1949 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 64: (1949-50) 77 आई ए 62: आकाशवाणी 1950 पी. सी. 26]

इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये जांच के दौरान गिरफ्तारी की अवैधता से संबंधित हैं, जबकि हम इसमें चिंतित हैं

के संदर्भ में अवैधता के साथ वर्तमान मामले

साक्ष्य के संग्रह के लिए यंत्र। यह

भेद का सवाल पर असर हो सकता है

पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता, लेकिन दोनों मामले स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जांच की अयोग्यता का न्यायालय की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, हम स्पष्ट रूप से भी इस राय के हैं कि जहां संज्ञान

वास्तव में मामला लिया गया है और मामला समाप्त होने के लिए आगे बढ़ा है, पूर्ववर्ती की अयोग्यता

जाँच परिणाम को दूषित नहीं करती है, जब तक कि

इस तरह न्याय की विफलता हुई है। "

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संज्ञान और मुकदमे को तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि

जांच में अवैधता दिखाई जा सकती है

न्याय की विफलता के बारे में। यह माना गया है कि अवैधता का पूर्वाग्रह के सवाल पर असर पड़ सकता है

या न्याय का गर्भपात लेकिन न्याय की अयोग्यता जाँच का अदालत की क्षमता से कोई संबंध नहीं है।

28. श्री पाधी ने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित कानून है कि किसी कथित अपराध का संज्ञान लेने वाला आदेश किसी भी दोष से दूषित नहीं होता है।

जांच पड़ताल की। Cr.P.C की धारा 465 के साथ पठित धारा 462 मुकदमे को जाँच में किसी भी दोष से बचाती है। श्री कामत द्वारा उद्धृत केशव लाल ठाकुर (ऊपर) को अलग करते हुए, श्री पाधी ने तर्क दिया कि यह एच. N.Rishbud और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले से संबंधित नहीं है। दिल्ली राज्य। श्री पाधी ने कहा कि देविंदर पाल सिंह भुल्लर (उपरोक्त) मामले में श्री कामत द्वारा उद्धृत निर्णय में कोई तथ्य नहीं है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवेदन क्योंकि मुद्दा निम्नानुसार थाः

" 2. यहाँ की गई अपीलें कानून के विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं कि क्या उच्च न्यायालय अपराधी के अंतिम निपटारे के बाद विचार किए गए आवेदन पर आदेश पारित कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अपील या यहां तक कि स्वतः संज्ञान

(इसके बाद "सी. आर. पी. सी". कहा जाता है) और इस बारे में कि क्या

सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत इसकी अंतर्निहित अधिकारिता

अदालत किसी विशेष जाँच एजेंसी को जाँच करने के लिए कह सकती है।

एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने वाला मामला

असाधारण रूप से असामान्य विधि जो इसके अनुरूप नहीं है

सीआरपीसी के वैधानिक प्रावधान "।

29. अपने उत्तर में, श्री कामत ने तर्क दिया कि यह दोषपूर्ण जाँच का मामला नहीं है जैसा कि राज्य की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए, बल्कि अधिकार क्षेत्र के बिना जाँच का मामला है। फर्टिको को अलग करना

राज्य की ओर से मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) का हवाला देते हुए श्री कामत ने तर्क दिया कि दोषपूर्ण जांच किसी मुकदमे को तब तक दूषित नहीं कर सकती जब तक कि न्याय की विफलता न हो। फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सहमति बाद में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सी. बी. आई. को दी गई थी।

30. श्री कामत ने यह भी तर्क दिया कि श्री पाधी द्वारा उद्धृत Cr.P.C की धारा 462 और 465 इस मामले में आकर्षित नहीं हैं। धारा 462 से संबंधित है -

गलत जगह पर जांच या मुकदमा या अन्य कार्यवाही और धारा 465 अभियोजन के लिए किसी भी मंजूरी में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के मामले में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के आदेश को बचाता है, जब तक कि न्यायालय

यह राय कि न्याय की विफलता वास्तव में हुई थी।

4 (1955) 1 एस. सी. आर. 1150 गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरेगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

31. आई. डी. 1. की धारा 4 (1) के विपरीत, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत सभी अपराधों की आवश्यकता होती है। आई. पी. सी.) जिसकी जाँच की जाए, जाँच की जाए, कोशिश की जाए या अन्यथा निपटा जाए

Cr.P.C के अनुसार, Cr.P.C की धारा 4 (2). किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाना आवश्यक है, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन है, जो अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके और स्थान को विनियमित करता है। 32. Cr.P.C की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि Cr.P.C में कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, उस समय लागू किसी विशेष कानून, या किसी विशेष क्षेत्राधिकार या प्रदत्त शक्ति, या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। पॉक्सो यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून है। Cr.P.C. की धारा 5 सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः -

" 5. बचत हो रही है। इस संहिता में निहित कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, किसी विशेष प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा।

या उस समय लागू स्थानीय कानून, या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति द्वारा प्रदत्त, या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कोई विशेष रूप।

33. आई. पी. सी. की धारा 5 के साथ धारा 4 (1) और (2) के संयुक्त अध्ययन पर, आई. पी. सी. के तहत सभी अपराधों की जांच की जानी चाहिएः

Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार प्रयास किया गया या अन्यथा निपटा गया और किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच की जानी है। आई. डी. 1. के समान प्रावधानों के अनुसार, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटा गया, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन है, जो ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके को विनियमित करता है।

34. पॉक्सो की धारा 19 सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः " 19. अपराधों की रिपोर्ट करना। - (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद

1974) , कोई भी व्यक्ति (बच्चे सहित), जिसके पास

इस बात की आशंका कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किए जाने की संभावना है या उसे पता है कि ऐसा अपराध किया गया है, वह ऐसी जानकारी निम्नलिखित को प्रदान करेगाः

(क) विशेष किशोर पुलिस इकाई; या

((ख) स्थानीय पुलिस।

(2) उप-धारा (1) के तहत दी गई प्रत्येक रिपोर्ट

(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित की और लिखित रूप में दर्ज की गई; (ख) सूचना देने वाले को पढ़ा जाए;

(ग) पुलिस द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

इकाई।

(3) जहाँ उप-धारा (1) के तहत रिपोर्ट एक बच्चे द्वारा दी जाती है,

उसी को उप-धारा (2) के तहत एक सरल तरीके से दर्ज किया जाएगा।

भाषा ताकि बच्चा सामग्री को समझ सके रिकॉर्ड किया गया।

ऐसी योग्यता रखने वाला अनुवादक या दुभाषिया, अनुभव और ऐसे शुल्क के भुगतान पर जो निर्धारित किया जाए,

बच्चे को प्रदान किया जाएगा यदि वह समझने में विफल रहता है

एक ही।

(5) जहाँ विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस है

संतुष्ट है कि वह बच्चा जिसके खिलाफ अपराध किया गया है

प्रतिबद्ध को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो, यह होगा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, तुरंत

उसे ऐसी देखभाल और सुरक्षा देने की व्यवस्था (जिसमें शामिल हैं)

बच्चे को आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती करना)

रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(6) विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस,

अनावश्यक देरी के बिना लेकिन चौबीस की अवधि के भीतर

घंटे, बाल कल्याण समिति को मामले की रिपोर्ट करें और

विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय नहीं है

सत्र न्यायालय के लिए नामित, जिसमें आवश्यकता भी शामिल है बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए और इस संबंध में उठाए गए कदम।

(7) किसी भी व्यक्ति को कोई दायित्व नहीं देना होगा, चाहे वह सिविल हो या सिविल।

अपराधी, के लिए सद्भावना से जानकारी देने के लिए

उप-धारा (1) का उद्देश्य। ”

35. पॉक्सो की धारा 19 की भाषा और अवधि और उप

इसके बारे में यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि उक्त धारा ऐसा नहीं करती है

पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध। यह स्पष्ट है

धारा 19 (1) की भाषा और सार, जिसमें लिखा है "

36. इसके अलावा, पॉक्सो की धारा 19 की उप-धारा (5) में यह प्रावधान है कि जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस संतुष्ट है कि जिस बच्चे के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, वह लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर बच्चे को आश्रय गृह या अस्पताल में भर्ती करने सहित ऐसी देखभाल और सुरक्षा देने के लिए तत्काल व्यवस्था करेगा। पॉक्सो की धारा 19 की उप-धारा (5) के तहत कार्रवाई अत्यधिक अभियान के साथ की जानी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई में स्पष्ट रूप से इस बात की जांच शामिल है कि क्या कोई अपराध किया गया है और क्या बच्चे को विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

37. पॉक्सो की धारा 19 की उप-धारा (6) में विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस, जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को या जहां बिना अनावश्यक देरी के सत्र न्यायालय के लिए कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं किया गया है, जानकारी दें। रिपोर्ट में संबंधित बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता और इस संबंध में उठाए गए कदमों को शामिल किया जाना है। एक बच्चा, जिसकी पहचान मीडिया में प्रकट की जाती है, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। मीडिया में बच्चे की पहचान का खुलासा यौन अपराध से पीड़ित बच्चे को अपराध के अपराधियों या उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिशोधी प्रतिशोध के लिए भी उजागर कर सकता है।

38. पॉक्सो की धारा 31, जिस पर श्री कामत ने भरोसा किया, प्रदान करती है

कि Cr.P.C के प्रावधान, जिसमें जमानत के प्रावधान शामिल हैं और

बांड एक विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं, और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को माना जाएगा

सत्र न्यायालय और अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति

विशेष न्यायालय को लोक अभियोजक माना जाएगा। उक्त धारा का किसी अपराध की रिपोर्टिंग या जांच से कोई लेना-देना नहीं है। पॉक्सो की धारा 33 (9), जो पॉक्सो के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है, का भी किसी अपराध की रिपोर्टिंग या जांच से कोई लेना-देना नहीं है। पॉक्सो के प्रावधानों के अधीन, विशेष न्यायालय को एक अपराध [2022] 2 एस. सी. आर. का मुकदमा चलाना है।

39. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायी इरादे को क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों से उनके स्पष्ट अर्थ के अनुसार समझा जाना है। क्या विधानमंडल का इरादा था कि Cr.P.C. किसी अपराध की जांच पर लागू होना चाहिए पॉक्सो की धारा 23 के तहत, विशेष रूप से ऐसा प्रावधान किया गया होगा। "जाँच" पद, जैसा कि Cr.P.C की धारा 4 (1) या (2) में है, धारा 31 या धारा 33 (9) में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है या

पॉक्सो में कहीं और।

40. हमारे समाज में, यौन अपराध के पीड़ितों को, अधिक बार, अपराध का अपराधी नहीं तो भी, उकसाने वाले के रूप में माना जाता है, भले ही पीड़ित पूरी तरह से निर्दोष हो। पीड़ित के साथ सहानुभूति रखने के बजाय लोग पीड़ित के साथ गलती करना शुरू कर देते हैं। पीड़ित का उपहास किया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, उसके बारे में गपशप की जाती है और यहाँ तक कि उसका बहिष्कार भी किया जाता है।

41. आई. पी. सी. की धारा 228 ए किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा करती है, जिसके खिलाफ बलात्कार या किसी संबंधित अपराध का अपराध है।

ऐसा पाया गया कि ऐसा किया गया है, जो दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडनीय है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है।

42. Cr.P.C की धारा 327 की उप-धारा (2) में यह अपेक्षा की गई है कि बलात्कार का मुकदमा कैमरे में और उक्त की उप-धारा (3) में चलाया जाए। धारा आई. पी. सी. की धारा 376,376 ए से 376 ई के तहत कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले की छपाई या प्रकाशन को प्रतिबंधित करती है।

43. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 (इसके बाद "जेजे अधिनियम" के रूप में संदर्भित) नाम, पता, स्कूल या किसी अन्य विशेष के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करती है, जिससे किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र या ऑडियो-विजुअल मीडिया या अन्य रूपों में कानून के साथ टकराव में किसी बच्चे या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे या किसी बच्चे के पीड़ित या अपराध के गवाह की पहचान हो सकती है।

किसी भी जांच या जांच या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में संचार, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, जांच करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति दे सकती है, अगर उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरेगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

47. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार, सभी मनुष्य स्वतंत्र और गरिमा और अधिकारों में समान रूप से पैदा होते हैं। वे संपन्न हैं। विवेक और विवेक के साथ और भाईचारे की भावना से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी अन्य बातों के साथ-साथ अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

उपचार।

48. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 12 कहता है

कि किसी की निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है।

बच्चों सहित सभी के लिए। गरिमा के साथ जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार और/या भेदभाव के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, भारत के संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं। 50. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (च) राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को [2022] 2 एस. सी. आर. से संरक्षित किया जाए।

शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ। पूरे के लिए

अपने व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए बच्चे को खुशी, प्रेम और समझ के वातावरण में बड़ा होना चाहिए और शांति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समानता और एकजुटता की भावना से पाला जाना चाहिए।

51. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन,

11 दिसंबर 1992 को भारत द्वारा अनुमोदित, मूल सिद्धांतों, अन्य बातों के साथ-साथ, एक बच्चे के खिलाफ गैर-भेदभाव, बच्चे के सर्वोत्तम हित, एक बच्चे के जीवित रहने और विकास के अधिकार पर आधारित था। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में राज्यों को बच्चों के शोषण को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करने की भी आवश्यकता है। पॉक्सो न केवल बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, बल्कि पीड़ितों के साथ-साथ गवाहों के रूप में भी बच्चों के हितों की रक्षा करता है। एक बच्चे की गरिमा के अधिकार के लिए न केवल यह आवश्यक है कि बच्चे को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाया जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि बच्चे की गरिमा की रक्षा की जाए। एक ऐसे बच्चे की पहचान का खुलासा करना जो यौन अपराधों का शिकार है या जो कानून के साथ टकराव में है, बच्चे के गरिमा के अधिकार, शर्मिंदा न होने के अधिकार का मौलिक उल्लंघन है। 52. बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा।

उसकी गोपनीयता। बच्चे को इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है। भारत ने बाल अधिकारों पर समझौते की पुष्टि की है। जे. जे. अधिनियम और पॉक्सो समझौते के तहत भारत के दायित्वों को आगे बढ़ाने में हैं। पॉक्सो की धारा 23 का प्रावधान जो यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को निजता, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा में अनुचित घुसपैठ से बचाता है, उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। प्रावधान को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

53. निपुन सक्सेना बनाम। भारत संघ ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 38. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया का कर्तव्य है कि वह किए गए प्रत्येक अपराध की रिपोर्ट करे। मीडिया बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में पीड़ित के नाम और पहचान का खुलासा किए बिना ऐसा कर सकता है। मीडिया के पास न केवल अधिकार है बल्कि ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करने का दायित्व भी है। हालांकि, मीडिया को सावधान रहना चाहिए कि इसे सनसनीखेज न बनाया जाए। मीडिया को पीड़ित से बात करने से बचना चाहिए क्योंकि हर बार

2019 (2) एस. सी. सी. 703 गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

पीड़ित दुख की कहानी दोहराता है, पीड़ित फिर से उस आघात से गुजरता है जिससे वह गुजरा है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट पीड़ितों, वयस्कों और बच्चों दोनों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील रूप से की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने से टेलीविजन रेटिंग अंक (टीआरपी) प्राप्त हो सकते हैं लेकिन मीडिया की विश्वसनीयता को कोई श्रेय नहीं मिलता है।

54. निपुन सक्सेना (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्देश दियाः -

" 50. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम जारी करते हैं

निम्नलिखित निर्देशः

50.1 . कोई भी व्यक्ति पीड़ित का नाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में प्रिंट या प्रकाशित नहीं कर सकता है या यहां तक कि दूरस्थ तरीके से भी किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं कर सकता है जिससे पीड़ित की पहचान की जा सकती है और जिससे उसकी पहचान जनता को पता चल सके।

बड़ा "।

55. केशव लाल ठाकुर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है, क्योंकि यह न्यायालय जांच कर रहा था।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में किसी भी अपराध की जांच, या अन्यथा उक्त अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। 56. देविंदर पाल सिंह भुल्लर (ऊपर) के अनुच्छेद 107 से 111 में दिए गए कानून के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

श्री कामत द्वारा। इस मामले में ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय का विवादित आदेश ऐसी किसी भी अवैधता से ग्रस्त है जो उक्त आदेश के मूल पर प्रहार करता है। कानूनी उक्ति "सबलाटो"

मौलिक कैडिट कृति "आकर्षित नहीं होती है।

57. श्री कामत का यह तर्क कि पॉक्सो की धारा 19 में पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध शामिल नहीं है, कानून में अस्थिर है और किसी भी ठोस कारण से समर्थित नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, शब्द " पॉक्सो की धारा 19 (1) में इस अधिनियम के तहत अपराध यह स्पष्ट करता है कि धारा 19 में पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध सहित पॉक्सो के तहत सभी अपराध शामिल हैं। यह दोहराया जाता है पुनरावृत्ति की कीमत पर कि ए

बच्चा जिसके खिलाफ पॉक्सो की धारा 23 के तहत अपराध किया गया है

उसकी पहचान का खुलासा करके, विशेष सुरक्षा, देखभाल और यहां तक कि आश्रय की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए त्वरित जांच की आवश्यकता हो सकती है।

पॉक्सो की धारा 19 की उप-धारा (5) और (6) का अनुपालन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. मैं अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि कार्यवाही दूषित की गई थी और रद्द की जा सकती थी या अपीलार्थी को रद्द किया जा सकता था।

केवल कथित अपराध की जाँच करने के लिए क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के अभाव के कारण, बिना मुकदमे के आरोपमुक्त किया जा सकता है। अपीलार्थी को गुण-दोष के आधार पर पॉक्सो की धारा 23 के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का बचाव करना होगा।

59. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, मुझे कोई दुर्बलता नहीं मिलती है

उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश के साथ जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान करता है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

जे. के. माहेश्वरी, जे.

मुझे अपनी सम्मानित बहन न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की राय को देखने का लाभ है, हालांकि मैं निर्णय में लिए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हूं।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. आदेश में संक्षेप में बताए गए तथ्यों और उनके अवलोकन पर, पहला मुख्य प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि "किसी भी तथ्य की अनुपस्थिति में।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2021 (संक्षेप में पॉक्सो अधिनियम) में संज्ञेय या संज्ञेय अपराधों के संबंध में दिया गया वर्गीकरण, क्या अधिनियम के तहत सभी अपराधों को असंवेदनशील खंड को देखते हुए संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्दिष्ट? . एक अन्य सवाल यह है कि "क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 का प्रभावी प्रभाव है

Cr.P.C के प्रावधान, विशेष रूप से अध्याय 12 के प्रावधान, जिसका शीर्षक Cr.P.C की धारा 4 और 5 के प्रावधान के संदर्भ में 'पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां' है। . अंतिम प्रश्न यह है कि "वर्तमान मामले में, Cr.P.C की धारा 4 (2) के अधिदेश के आधार पर, जांच के लिए विशेष अधिनियम यानी पॉक्सो अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत किसी अपराध का मुकदमा चलाने के लिए, Cr.P.C की धारा 155 (2) के अधिदेश का पालन करने की आवश्यकता होगी?"

4. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, तत्काल अपील में मुद्दे की पृष्ठभूमि का वर्णन यहाँ किया गया है। आरोपों के अनुसार, अपीलार्थी ने कथित तौर पर धारा के तहत अपराध किया

23 पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के लिए पॉक्सो अधिनियम।

माँ गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

गैर-संज्ञेय होने के कारण, बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जाँच आई. डी. 1 की धारा 155 (2) में अधिदेशित मजिस्ट्रेट का आदेश और चालान दाखिल करना, जांच पूरी करना मुकदमे को दूषित करता है और सभी कार्यवाहियां रद्द किए जाने के योग्य हैं।

5. विशेष अदालत ने आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 को देखते हुए, इसके तहत सभी अपराध

संतोष कुमार मंडल बनाम राज्य, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5378 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से मार्गदर्शन लेने के बाद अधिनियम संज्ञान में आता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुलिस के पास मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किए बिना मामला दर्ज करने और जांच करने की शक्ति है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है अपीलार्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत आरोप तय करे और आरोप तय करने का निर्देश दे।

6. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 अपराध की सूचना देने का प्रावधान करती है और इसे वर्गीकृत नहीं करती है

संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराध। यह कहा जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) 'गैर-बाध्यकारी' खंड से शुरू होती है जो Cr.P.C की धारा 154 और 155 के तहत निहित प्रावधानों को ओवरराइड करती है। हालाँकि, Cr.P.C की धारा 154 और 155 के प्रावधानों को विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों में आवेदन से बाहर रखा गया है। इसलिए, किसी गैर-संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए Cr.P.C की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। 7. उपरोक्त सभी प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे आम तौर पर विज्ञापित किया जा रहा है। इस संबंध में, पॉक्सो अधिनियम संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के बारे में स्पष्ट नहीं करता है। हालाँकि, Cr.P.C की धारा 2 (c) और 2 (1) के तहत संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध की परिभाषा प्रासंगिक हो सकती है और तैयार संदर्भ के लिए उद्धृत की जा सकती है-[2022] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकताएँ

**

(ग) "संज्ञेय अपराध" से एक ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और "संज्ञेय मामले" से एक ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, एक पुलिस अधिकारी, पहली अनुसूची के अनुसार या तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है;

**

(1) " गैर-संज्ञेय अपराध "से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और" गैर-संज्ञेय मामले "से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें,

अधिकारी के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

9. Cr.P.C की पहली अनुसूची में अपराध के वर्गीकरण का प्रावधान है जो दो भागों में है। उक्त अनुसूची के भाग प्रथम में निर्दिष्ट किया गया है कि दंड; संज्ञेयता या गैर-संज्ञेयता; जमानती या गैर-जमानती; और किस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। पहली अनुसूची का दूसरा भाग किससे संबंधित है किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराध और विवरण निर्दिष्ट करें

जमानतीय; और किस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य। उपरोक्त निर्णय के पैरा 14 में, पहली अनुसूची के भाग 2 को उद्धृत किया गया है। हम ले सकते हैं। इसका लाभ उठाते हुए और उस पर गौर करने पर, यह स्पष्ट है कि 3 वर्ष से कम के कारावास या जुर्माने के साथ यदि उस कानून में निर्धारित किया गया है, तो किसी भी अन्य कानून के तहत इस तरह के अपराध का अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-संज्ञेय, जमानती और विचारण योग्य होगा। वर्तमान मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत कथित तौर पर एक अपराध किया गया है।

उप-धारा (1) और (2) के उल्लंघन में किया गया, जो कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, लेकिन यह 1 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से बढ़ाया जा सकता है। पॉस्को के तहत

अधिनियम, यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं या कुछ संज्ञेय नहीं हैं। हालाँकि, न्यायालय को उक्त मुद्दे पर Cr.P.C के प्रावधानों से सहायता लेनी पड़ सकती है। इस संबंध में, Cr.P.C की धारा 4. का उल्लेख ऊपर दिए गए निर्णय के पैरा 13 में किया गया है।

लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 की उप-धारा 1 के अनुसार, और भारतीय दंड संहिता की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार, किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले तत्काल लागू किसी अधिनियम के अधीन, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रूप से जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा निपटा जाएगा। Cr.P.C की धारा 5 एक है। ' बचत खंड जिसके तहत किसी विशेष या स्थानीय कानून में कुछ समय के लिए निर्धारित प्रक्रिया Cr.P.C में प्रदान की गई प्रक्रिया से अप्रभावित रहेगी। इसलिए, किसी विशेष अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधान अपनी प्रक्रिया के साथ Cr.P.C के प्रावधानों को ओवरराइड करेंगे और उनका पालन किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, Cr.P.C के प्रावधान विशेष अधिनियम के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे Cr.P.C की धारा 5 में निर्दिष्ट सीमा तक सहेजे जाते हैं और Cr.P.C की धारा 4 (2) के अनुसार लागू होंगे।

10. विशेष अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 का आश्रय ले लिया गया है

संतोष कुमार मंडल (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना। हालाँकि, उक्त निर्णय के बाद पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 का दायरा, संदर्भ, प्रयोज्यता आवश्यक है देखा गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या विशेष अधिनियम रिपोर्टिंग के बाद जांच से संबंधित है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 36 में, धारा 19 का उल्लेख किया गया है जो पॉक्सो अधिनियम के अध्याय V का हिस्सा है और मामलों की 'रिपोर्टिंग' के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि जब बच्चे सहित किसी व्यक्ति को आशंका है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत कोई अपराध होने की संभावना है या उसे अपराध करने की जानकारी है, तो वह ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई (संक्षेप में "एसजेपीयू") या स्थानीय पुलिस को प्रदान करेगा। अधिनियम के तहत अपराध की सूचना देने पर, ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को एक प्रविष्टि संख्या के रूप में अंकित किया जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़ने के बाद लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। उप-धारा (2) उप-धारा (1) के तहत बनाई गई रिपोर्ट को अंकित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करती है। उप-धारा (3) के अनुसार, रिपोर्ट लिखते समय, यह सरल भाषा में होनी चाहिए ताकि बच्चा समझ सके कि इसकी सामग्री को दर्ज किया जा रहा है। उप-धारा (4) के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो बच्चे को अनुवादक/दुभाषिया प्रदान किया जा सकता है। उप-धारा (3) और (4) की भाषा को देखते हुए, यह स्पष्ट रूप से उस मामले में लागू होता है जहां रिपोर्ट बच्चे द्वारा दर्ज की गई है न कि परिवार के सदस्यों द्वारा। धारा 19 (5) (6) एस. जे. पी. यू. या स्थानीय पुलिस, [2022] 2 एस. सी. आर. को रिपोर्ट करने पर विशेष प्रक्रिया निर्धारित करती है।

और उन पर यह भी कर्तव्य डालना कि यदि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, बच्चे को आश्रय गृह में भर्ती करने सहित ऐसी देखभाल और सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था करें या

रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर निकटतम अस्पताल बनाया जाना चाहिए था। साथ ही, उन्हें बाल कल्याण समिति (संक्षेप में "सी. डब्ल्यू. सी".) और विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को भी मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए। उप-धारा (7) सद्भावना से उप-धारा (1) के तहत ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है।

11. धारा 19 की भाषा को देखते हुए, यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं। साथ ही साथ

धारा 19 या पॉक्सो अधिनियम के अन्य प्रावधान भी निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

केवल संबंधित प्रावधान होने की सीमा तक विशेष अधिनियम होना। लेकिन पॉक्सो अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि अपराधों की रिपोर्टिंग पर जांच कैसे और किस तरीके से की जानी चाहिए। इसके विपरीत, Cr.P.C का अध्याय XII बाद की जाँच से भी संबंधित है। संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराधों में जानकारी प्राप्त करना। पुलिस अधिकारी को धारा 156 के अनुसार जाँच की शक्ति दी गई है और उक्त अधिकारी संज्ञेय अपराधों के मामले में धारा 157 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जाँच करेगा। गैर-संज्ञेय अपराधों में, सूचना को Cr.P.C की धारा 155 (1) के तहत उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज किया जा सकता है जिसकी सीमा के भीतर अपराध किया जाता है। वह ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में सूचना का सार ऐसे प्रपत्र में दर्ज करेगा जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे, और सूचना देने वाले को ऐसे मामले की सुनवाई करने की शक्ति रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। द.

उक्त मजिस्ट्रेट जाँच के लिए एक आदेश पारित कर सकता है जिसका पालन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसी शक्ति का प्रयोग करेगा सिवाय इसके कि

वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति, जैसा कि वह संज्ञेय अपराधों की जाँच में प्रयोग कर सकता है। अन्यथा, एक गैर-संज्ञेय अपराध में, पुलिस अधिकारी को अदालत के आदेश के बिना जांच नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम के तहत जांच के लिए कोई प्रक्रिया न होने पर, या तो संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए, जैसा कि Cr.P.C की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा अनिवार्य है, प्रक्रिया गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी v.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

जाँच और विचारण के मामले में Cr.P.C में विहित का पालन किया जाना चाहिए। Cr.P.C की धारा (5) एक बचत खंड है जिसके द्वारा विशेष अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया अन्यथा प्रावधान और Cr.P.C में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अभाव में लागू हो सकती है।

12. Cr.P.C और पॉक्सो अधिनियम के बुनियादी प्रावधानों पर चर्चा के बाद, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश,

पैराग्राफ 10 में संतोष कुमार मंडल (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की जांच की जानी आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के अवलोकन पर, यह पता चलता है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने धारा 19 के संदर्भ में धारा 12 के मामले पर विचार करते हुए एक व्यापक टिप्पणी की और कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं। उक्त अवलोकन पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 की भाषा के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। उक्त मामले के तथ्यों और निष्कर्षों को देखने के बाद, यह कहना पर्याप्त है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें तीन साल तक की सजा थी और इस सिद्धांत के साथ वजन किया कि इस तरह से निर्धारित अधिकतम सजा पर विचार किया जा सकता है।

संज्ञानात्मकता या गैर-संज्ञानात्मकता। इसलिए, उक्त धारणा के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं, जिसे, मेरी राय में, सही दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।

13. संज्ञानात्मकता या गैर-संज्ञानात्मकता के संबंध में मामला, आपराधिक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ का फैसला

2020 का संदर्भ संख्या 1, जिसका शीर्षक नाथू राम और अन्य है। बनाम राज्य

राजस्थान और अन्र. , 2021 (1) आर. एल. डब्ल्यू. 211 प्रासंगिक हो सकता है, जिसमें उत्तर के लिए प्रस्तुत प्रश्न निम्नानुसार थाः

" अपराध की प्रकृति क्या होगी (चाहे संज्ञेय हो या

गैर-संज्ञेय) जिसके लिए कारावास तीन तक बढ़ सकता है वर्षों का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में क़ानून में कोई शर्त नहीं लगाई गई है।

यह संज्ञानात्मक/गैर-संज्ञानात्मक है।

14. उच्च न्यायालय, राजीव चौधरी बनाम राज्य के मामलों में इस न्यायालय के सभी प्रावधानों और निर्णयों पर विचार करता है।

(एन. सी. टी.) दिल्ली, ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2369 और राकेश कुमार पॉल बनाम. असम राज्य, (2017) 15 एस. सी. सी. 67 ने इस संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 21 .....

इस प्रकार, अपराध की प्रकृति के निर्धारण के लिए, चाहे वह संज्ञेय हो या गैर-संज्ञेय, उपरोक्त के रूप में किया गया वर्गीकरण, अधिकतम सजा जो विशेष अपराध के लिए दी जा सकती है, प्रासंगिक है न कि न्यूनतम सजा।

25. तदनुसार, निर्देश का उत्तर इन शर्तों के साथ दिया जाता है कि जब तक प्रासंगिक कानून के तहत अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक आई. पी. सी. के अलावा अन्य कानूनों के तहत तीन साल की सीमा तक कारावास से दंडनीय अपराध, पहली अनुसूची के भाग II के तहत वर्गीकृत अपराधों के वर्गीकरण II के भीतर आएंगे और इस प्रकार, संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। नतीजतन, अपराध के तहत

1956 के अधिनियम की धारा 91 (6) (ए) संज्ञेय और गैर-संज्ञेय होगी।

जमानती "।

15. इस प्रकार, यहाँ ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, यह निष्कर्ष निकालना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का संतोष कुमार मंडल (उपरोक्त) का निर्णय

धारा 12 के एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें निर्धारित अधिकतम सजा 3 साल तक बढ़ाई जा सकती थी, हालांकि उक्त अपराध संज्ञेय पाया गया था। यह कहना है कि उक्त निर्णय में किया गया अवलोकन कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं, मेरी विनम्र राय में Cr.P.C के प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना उचित नहीं है। यह सच है कि संज्ञेयता और गैर-संज्ञेयता का निर्णय करने के लिए, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यदि अपराध के लिए निर्धारित सजा 3 साल से कम है तो पॉक्सो अधिनियम के वे अपराध संज्ञेय नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 Cr.P.C के प्रावधानों को केवल पुलिस या एस. जे. पी. यू. और धारा 19 में निर्दिष्ट अन्य सहायक बिंदुओं को मामलों की रिपोर्ट करने की सीमा तक ही ओवरराइड करती है।

16. उपरोक्त चर्चा के अनुसार, धारा 23 के तहत अपराध संज्ञेय नहीं है और धारा 19 या पॉक्सो अधिनियम के अन्य प्रावधान नहीं हैं।

अपराध की रिपोर्ट करने के तरीके को निर्दिष्ट करने के अलावा जांच के लिए शक्ति प्रदान करें। हालाँकि, जैसा कि धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है और Cr.P.C के धारा 5 बचत खंड को लागू करते हुए, विशेष अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने पर, Cr.P.C. लागू होगा।

17. उक्त संदर्भ में, यह देखने की आवश्यकता है कि गैर-संज्ञेय में Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार जांच का तरीका क्या हो सकता है।

मामले। Cr.P.C के अध्याय XII के अनुसार, धारा 154 के तहत, संज्ञेय अपराध में एफ. आई. आर. को पुलिस के प्रभारी गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी बनाम द्वारा दर्ज किया जा सकता है।

स्टेशन करें और लिखित रूप में कम करें। धारा 155 गैर-संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों की जाँच के तरीके के बारे में जानकारी निर्धारित करती है। धारा 156 एक पुलिस अधिकारी को एक संज्ञेय मामले की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है जबकि धारा 157 जांच के लिए एक प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है। इस पर गौर करने पर, यह स्पष्ट है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने की शक्ति है और उसी की जांच करते समय, वह तुरंत मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट करेगा, जिसके पास ऐसे अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है और वह उक्त जांच को भी खारिज कर सकता है जैसा कि Cr.P.C में निर्धारित किया गया है या अधिसूचना के अनुसार।

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। अतः, यह स्पष्ट है कि जिन मामलों में संज्ञेय अपराध किया गया है, वहां पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना सक्षम है, लेकिन संज्ञेय अपराधों के मामले में, रिपोर्ट लेने के बाद, प्रभारी अधिकारी धारा 155 (1) के अनुसार सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। धारा 155 (2) की भाषा यह स्पष्ट करती है और शब्दों में यह अनिवार्य है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी गैर-कानूनी मामले की जांच नहीं करेगा।

मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामला। इसलिए, उक्त प्रावधान अनिवार्य है और किसी गैर-संज्ञेय अपराध की जांच करने से पहले इसका पालन करना आवश्यक है। के लिए सीखा परामर्श

अपीलार्थी ने केशव लाल ठाकुर बनाम बिहार राज्य, (1996) 11 एस. सी. सी. 557 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त मामले में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध,

आरोप लगाया गया था। जाँच के बाद, पुलिस द्वारा आरोपमुक्त करने का अनुरोध करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, जिसे धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और याचिका को खारिज कर दिया गया, जिस पर इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

इस प्रकार के कार्य के पूरा होने पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान जांच पड़ताल की। पुलिस के स्वयं दिखाने पर, अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध संज्ञेय नहीं है और इसलिए पुलिस धारा 154 Cr.P.C के तहत इस तरह के अपराध के लिए मामला दर्ज नहीं कर सकती थी। बेशक, पुलिस एक आदेश [2022] 2 एस. सी. आर. के अनुसार एक संज्ञेय अपराध की जांच करने की हकदार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 155 (2) Cr.P.C के तहत एक सक्षम मजिस्ट्रेट की, लेकिन,

मान लीजिए, तत्काल मामले में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि न तो पुलिस विचाराधीन अपराध की जांच कर सकती थी और न ही ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती थी जिस पर संज्ञान लेने का सवाल उठ सकता था। चालू रहते हुए

इस बिंदु पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 2 (डी) Cr.P.C के स्पष्टीकरण को देखते हुए, जो 'शिकायत' को परिभाषित करता है, पुलिस को जांच के बाद, संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार है।

एक गैर-संज्ञेय अपराध जिसमें ऐसी रिपोर्ट को संबंधित पुलिस अधिकारी की 'शिकायत' के रूप में माना जाना है, लेकिन वह स्पष्टीकरण यहां अभियोजन पक्ष को उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वह उस मामले से संबंधित है जहां पुलिस एक संज्ञेय अपराध की जांच शुरू करती है-वर्तमान के विपरीत लेकिन अंततः पता चलता है कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

उक्त के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को बरकरार रखने के लिए लिया गया दृष्टिकोण इस आधार पर उचित नहीं पाया गया कि पुलिस अपराध की जांच करने की हकदार नहीं थी और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान लेने की ऐसी रिपोर्ट भी उचित नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि अपराध गैर-संज्ञेय होने के कारण, पुलिस सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार ऐसे अपराध की जांच करने का हकदार है।

मजिस्ट्रेट ने Cr.P.C की धारा 155 (2) के तहत निर्दिष्ट किया। लेकिन स्वीकार किया कि मामले में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए, इस अदालत ने कहा कि जैसा सहारा लिया गया है वह उचित नहीं है और विवादित कार्यवाही को रद्द कर दिया। फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस के निर्णय को अलग करने वाले विद्वान वकील। बनाम केंद्रीय ब्यूरो

जाँच और ए. एन. आर. , (2021) 2 एस. सी. सी. 525, ने पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर, (2011) 14 एस. सी. सी. 770 के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई ही अवैध है, तो बाद की सभी कार्रवाइयां

उस अधिनियम से उत्पन्न होना भी एक निरर्थकता है, हालाँकि, कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई।

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वकील ने दिल्ली विशेष पुलिस की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति लेने का तर्क देने के लिए फर्टिको (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया

अपराध की जांच के लिए स्थापना अधिनियम, 1946, यदि नहीं लिया जाता है, तो मुकदमे को दूषित करने में बाधा नहीं होगी जब तक कि न्याय की विफलता न हो। उक्त निर्णय के अवलोकन के बाद, यह पता चलता है कि उक्त एन. जी. ए. डी. ए. आर. नारायण नायक @जी. ए. आर. हिरगुट्टी बनाम.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीश पीठ के फैसले पर निर्भर करता है

ऋषभ और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 196

पैराग्राफ 9 और 10 में संबंधित कानून की बारीकियों को शामिल किया गया है -

सहायता मुद्दा और उन्हें इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 9. तब इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या और

इस तरह की जांच के बाद होने वाला मुकदमा किस हद तक है

दूषित हो जाता है। अब, परीक्षण संज्ञान और संज्ञान का अनुसरण करता है

जाँच से पहले। यह निस्संदेह बुनियादी है।

संज्ञेय मामलों के संबंध में संहिता की योजना। लेकिन ऐसा होता है।

उस पर आधारित संज्ञान या परीक्षण। हम यहाँ नहीं हैं। एक अनिवार्य के उल्लंघन के प्रभाव से संबंधित

न्यायालय की क्षमता या प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रावधान

संज्ञान या परीक्षण के संबंध में। यह केवल संदर्भ के साथ है

ऐसा उल्लंघन कि सवाल यह है कि क्या यह गठित करता है

कार्यवाही को दूषित करने वाली अवैधता या केवल अनियमितता उठती है। जाँच में कोई दोष या अवैधता, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, का क्षमता या प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है।

संज्ञान या परीक्षण से संबंधित। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पुलिस रिपोर्ट जो एक जांच से निकलती है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में उस सामग्री के रूप में प्रदान की गई है जिस पर संज्ञान लिया जाता है। लेकिन यह बनाए नहीं रखा जा सकता है कि एक वैध

और कानूनी पुलिस रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र की नींव है

न्यायालय का संज्ञान लेने के लिए। संहिता की धारा 190

दंड प्रक्रिया धाराओं के एक समूह में से एक है जिसके तहत

शीर्षक "आरंभ करने के लिए आवश्यक शर्तें

कार्यवाही "। इस खंड की भाषा चिह्नित है

के तहत समूह के अन्य वर्गों के विपरीत

समान शीर्षक अर्थात धारा 193 और धारा 195 से धारा 199। ये बाद वाले धाराएँ न्यायालय की क्षमता को विनियमित करती हैं और इसकी क्षमता को बाधित करती हैं।

उसके अनुपालन को छोड़कर कुछ मामलों में अधिकारिता। लेकिन धारा 190 ऐसा नहीं करती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मायने में, धारा 190 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) संज्ञान लेने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, लेकिन यह कहना संभव नहीं है कि संज्ञान

एक अमान्य पुलिस रिपोर्ट पर निषिद्ध है और इसलिए एक

शून्यता। ऐसी अमान्य रिपोर्ट अभी भी खंड के तहत आ सकती है। (धारा 190 (1) की ए) या (बी), (चाहे वह एक हो या दूसरा जिस पर हमें विचार करने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है) और किसी भी मामले में

इस प्रकार लिया गया संज्ञान केवल [2022] 2 एस. सी. आर. में त्रुटि की प्रकृति में है।

मुकदमे के पूर्ववर्ती कार्यवाही। ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537

निम्नलिखित शब्द आकर्षित होते हैं:

" यहाँ पहले निहित प्रावधानों के अधीन, सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष, सजा या आदेश पारित नहीं किया गया है।

अपील पर अधिकारिता को उलट दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा या

किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण संशोधन

इस संहिता के तहत मुकदमे से पहले या उसके दौरान या किसी जांच या अन्य कार्यवाही में शिकायत, समन, वारंट, आरोप, घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही में, जब तक कि ऐसी त्रुटि, चूक या अनियमितता न हो।

न्याय की विफलता का कारण बना "।

यदि, इसलिए, वास्तव में, एक पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है, जो संबंधित अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन से दूषित होती है

जांच, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि परिणाम

इसके बाद होने वाले मुकदमे को तब तक दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच में अवैधता को न्याय की विफलता के बारे में नहीं दिखाया जा सकता है। कि एक अवैधता में किया गया

जाँच की प्रक्रिया क्षमता को प्रभावित नहीं करती है और

मुकदमे के लिए न्यायालय की अधिकारिता अच्छी तरह से तय की गई है जैसा कि प्रभु बनाम के मामलों से प्रतीत होता है। सम्राट [ए. आई. आर 1944 प्रिवी

परिषद 73] और लुम्बरदार जुत्शी बनाम। राजा [ए. आई. आर. 1950 प्रिवी काउंसिल 26]। इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये जांच के दौरान गिरफ्तारी की अवैधता से संबंधित हैं, जबकि हम वर्तमान मामलों में अवैधता के संबंध में चिंतित हैं

न्याय की विफलता, लेकिन दोनों मामले स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जांच की अयोग्यता का इससे कोई संबंध नहीं है न्यायालय की क्षमता। इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से यह भी राय है कि जहां मामले का संज्ञान है

तथ्य लिया गया है और मामला समाप्त होने के लिए आगे बढ़ा है, पूर्ववर्ती जांच की अयोग्यता परिणाम को दूषित नहीं करती है, जब तक कि न्याय का गर्भपात नहीं किया गया है

जिससे।

10. हालाँकि, यह नहीं माना जाता है कि मुकदमे के दौरान न्यायालय द्वारा जाँच की अयोग्यता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जब इस तरह के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन एन. जी. ए. डी. ए. आर. नारायण नायक @जी. ए. डी. ए. आर. हिरगुट्टी बनाम है।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

पर्याप्त प्रारंभिक चरण में न्यायालय के संज्ञान में लाए जाने पर, न्यायालय को, संज्ञान लेने से इनकार नहीं करते हुए, अवैधता को ठीक करने और दोष को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, इस तरह की पुनः जांच का आदेश देते हुए

संहिता जैसा कि धारा 202 से दिखाई देती है जिसके तहत शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं

पुलिस द्वारा जाँच। न ही यह कहा जा सकता है कि इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना विशेष न्यायाधीश की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे से बाहर है, जो मुकदमे में प्रक्रिया के उद्देश्यों के लिए वस्तुतः वारंट मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट की स्थिति में है। जब न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है

बहुत शुरुआती चरण में ऐसी अवैधता अभियुक्त के लिए उचित नहीं होगा कि वह उस पूर्वाग्रह को दूर न करे जो उस स्तर पर उचित आदेशों द्वारा किया गया हो सकता है।

लेकिन उसे मुकदमे के समापन तक प्रतीक्षा करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 के तहत कुछ कठिन बोझ का निर्वहन करने के अंतिम उपाय पर छोड़ने के लिए कि इस तरह की त्रुटि ने वास्तव में न्याय की विफलता का कारण बना है। इस संदर्भ में यह अवलोकन करना प्रासंगिक है कि भले ही मुकदमा निष्कर्ष पर पहुंच गया था और अभियुक्त को यह पता लगाना था कि वास्तव में एक

इस तरह की त्रुटि के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 का स्पष्टीकरण इंगित करता है कि कार्यवाही के शुरुआती चरण में आपत्ति उठाए जाने का तथ्य एक प्रासंगिक कारक है। ऐसी स्थिति में उल्लंघन को नजरअंदाज करने के लिए जब ध्यान में लाया जाए

अदालत वस्तुतः एक मृत पत्र बनाने के लिए होगी

आकस्मिक प्रावधान जो ऐसे अभियुक्त के लाभ के लिए सार्वजनिक नीति के आधार पर अधिनियमित किया गया है। यह सच है कि आकस्मिक प्रावधान स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दिए जाने पर निचले दर्जे के अधिकारी को जांच करने की अनुमति देता है। लेकिन यह विधानमंडल द्वारा कोई संकेत नहीं है कि बिना किसी निम्न पद के अधिकारी द्वारा जांच

ऐसी अनुमति को पूर्वाग्रह पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता है। जब किसी मजिस्ट्रेट से ऐसी अनुमति देने के लिए संपर्क किया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि कुछ अच्छे और निम्न पद [2022] 2 एस. सी. आर. के अधिकारी को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त कारण।

जाँच करने के लिए। इस तरह की अनुमति देना

मजिस्ट्रेट द्वारा इसे केवल एक नियमित मामले के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह अंतर्निहित नीति को ध्यान में रखते हुए उसके न्यायिक विवेकाधिकार का एक अभ्यास है। इसलिए, हमारी राय में, जब इस तरह के उल्लंघन को मुकदमे के शुरुआती चरण में अदालत के संज्ञान में लाया जाता है, तो अदालत को उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना होगा और ऐसे पुनर्निरीक्षण के लिए उचित आदेश पारित करना होगा, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो अधिनियम की धारा 5-ए की आवश्यकताओं के संदर्भ में उचित समझता है। यह उपरोक्त विचारों के आलोक में है कि वैधता या अन्यथा

अधिनियम की धारा 5 (4) के उल्लंघन के बारे में आपत्ति का निर्णय लेना होगा और इन कार्यवाहियों में अपनाया जाने वाला मार्ग, तय किया।

19. इसके अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि 'परीक्षण प्रवाह संज्ञान और संज्ञान जांच से पहले होता है', जो कि मूल है

न्यायालय के लिए संज्ञेय मामलों के लिए योजना। यह देखा गया है कि, यह आवश्यक नहीं है कि एक अमान्य जांच संज्ञान या उसके आधार पर परीक्षण को रद्द कर देती है। फिर न्यायालय की क्षमता या प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा

संज्ञान या मुकदमे के संबंध में न्यायालय। उक्त संदर्भ में, आई. डी. 1 की धारा 190 और 537 के संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि जांच से संबंधित अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन के लिए, इसे तब तक दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच में अवैधता नहीं दिखाई गई हो। न्याय की विफलता क्योंकि यह निचली अदालत की क्षमता और अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन को पर्याप्त प्रारंभिक चरण में न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो न्यायालय को संज्ञान लेने से इनकार करते हुए अवैधता को ठीक करने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह की पुनः जांच का आदेश देकर दोष को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यदि ध्यान दें

अदालत को बहुत शुरुआती चरण में इस तरह की अवैधता के लिए बुलाया जाता है, आरोपी के लिए यह उचित होगा कि वह उस स्तर पर उचित आदेश पारित करके उस पूर्वाग्रह को दूर न करे और उसे मुकदमे के समापन तक प्रतीक्षा करने के अंतिम उपाय पर न छोड़े। अदालत ने कहा कि इस तरह की अनुमति को मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन यह अंतर्निहित नीति को ध्यान में रखते हुए उनके न्यायिक विवेक का प्रयोग है। न्यायालय ने कहा कि जब इस तरह का उल्लंघन होता है

मुकदमे के शुरुआती चरण में अदालत के संज्ञान में लाए जाने पर, अदालत को उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना होगा और उचित आदेश गंगाधर नारायण नायक @गंगाधर हिरगुट्टी बनाम पारित करना होगा।

पुनः जाँच के लिए जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से या जो भी उचित हो।

अपराध की जाँच करना। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 155 (2) के अनुसार, गैर-संज्ञेय अपराध के लिए, मजिस्ट्रेट से आदेश लेना आवश्यक है, लेकिन पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (1) और 28 के आलोक में, विशेष न्यायालयों को पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए नामित किया जाना आवश्यक है और उन्हें धारा 33 के तहत अधिकृत किया गया है, जो ऐसे विशेष न्यायालयों को संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, धारा 155 (2) में उपयोग किए गए शब्द को "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "विशेष न्यायालय" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध में धारा 155 (2) की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। धारा 23 जो गैर-संज्ञेय है और विशेष न्यायालय को जाँच में अपनाई गई प्रक्रिया को देखने की आवश्यकता है। आई. डी. 1 पर पारित आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विशेष अदालत द्वारा पारित संज्ञान लेने का आदेश केवल यह दर्शाता है कि सत्यापित सूची के अनुसार दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, अदालत ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने प्रक्रिया का पालन करने के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया है

Cr.P.C की धारा 155 (2). इसलिए, जल्द से जल्द जब आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था, इसे ओवरराइडिंग प्रभाव के बारे में गलत धारणा के साथ दिनांक 28.08.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान के लिए। मेरी सुविचारित राय में, आरोपमुक्त करने के आवेदन को अस्वीकार करते हुए संज्ञान लेने और परिणामी आदेश पारित करने का आदेश कानून के अनुसार नहीं है। संज्ञेय अपराध के मामले में केशव लाल ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान मामले के तथ्यों में उपयुक्त रूप से लागू होता है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील की अनुमति है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित संज्ञान और परिणामी आदेशों को लेते हुए आदेश

जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, उसे इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है। विशेष न्यायालय गैर-संज्ञेय अपराधों की जाँच के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए स्वतंत्र है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश

माननीय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने अपना फैसला सुनाया

हस्ताक्षरित रिपोर्ट करने योग्य निर्णय के संदर्भ में अपील करें।

माननीय न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी ने एक अलग फैसला सुनाया

इसके अलावा, माननीय न्यायमूर्ति सुश्री बनर्जी द्वारा व्यक्त किए गए विचार से असहमत होकर अपील को स्वीकार कर लिया।चूंकि पीठ सहमत नहीं हो पाई है, इसलिए रजिस्ट्री को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।

गुजराल

मामला बड़ी पीठ को भेजा गया।